भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4285 का उत्तर

रेल डिब्बों में अग्निशमन सुरक्षा मानक

4285. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कुल कितने रेल डिब्बे प्रचालनरत हैं और कितने रेल डिब्बे अग्निशामक उपकरणों से युक्त हैं;

(ख) सभी रेल डिब्बों में अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) रेल डिब्बों में अग्नि सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) रेल डिब्बों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): चल स्टॉक का मूलभूत डिज़ाइन विभिन्न संरक्षा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। भारतीय रेल पर अग्नि संरक्षा को बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों का और अधिक संशोधन और उन्नयन करना सतत् और निरंतर प्रक्रिया है। सवारी डिब्बों में अग्नि संरक्षा सहित संरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. भारतीय रेल के सभी सवारी डिब्बों में कम से कम दो अग्निशामक यंत्रों का प्रावधान।
2. पावर कारों और पैंट्री कारों के आग लगने वाले संभावित क्षेत्रों में अग्नि संसूचन प्रणाली प्रदान की गई है।
3. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सवारी डिब्बों में अग्नि और धुआं संसूचन प्रणाली प्रदान की गई है।
4. पैंट्री कारों और पावर कारों में चरणबद्ध तरीके से वॉटर मिस्ट प्रकार की अग्नि शमन प्रणाली प्रदान की जा रही है।
5. सवारी डिब्बों में आग लगने की स्थिति में निकासी के लिए आपातकालीन खिड़कियों का प्रावधान।
6. बेहतर अग्नि संरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में सीटों/बर्थ, पैनलों, फर्श, इन्सुलेशन, शौचालय आदि के लिए वैश्विक अग्निरोधी मानदंडों के अनुसार अग्निरोधी सामग्री का उपयोग।
7. सवारी डिब्बों में अग्निरोधी ई-बीम केबल का उपयोग।
8. विद्युत सर्किटों में विद्युतीय खामियों/सर्ज से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फ़्यूज़, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर के रूप में सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयोग।
9. विद्युतीय कैबिनेट में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली का प्रावधान।
10. इसके अलावा, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों में नए उत्पाद की सामग्री संस्थापित करने के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप सामग्री का उन्नयन नियमित रूप से किया जा रहा है।
11. आग से बचाव के लिए विभिन्न “क्या करें” और “क्या न करें” के बारे में यात्रियों को सूचित और सतर्क करने के लिए सभी सवारी डिब्बों में व्यापक जानकारी के लिए “अग्नि सूचना” प्रदर्शित करना। इनमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक न ले जाने, रेलगाड़ी के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध और दंड आदि के बारे में संदेश शामिल होते हैं।

12.सवारी डिब्बों में आग जलाकर खाना पकाने पर प्रतिबंध।

विभिन्न अग्नि संरक्षा उपकरणों/घटकों का निर्धारित आवधिकता के अनुसार उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए डिपुओं/शेडों में नामित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षण किया जाता है।

*****